Date
2/10/20

बिहार पंचायती राज

B.A Part II
Paper II

ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले सभी कार्य संविधान की 11वी अनुसूची मे अंकित है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के माध्यम से राज्य सरकार ने लगभग सभी कार्य पंचायती को सुपुर्द कर दिए है। इनमे से कुछ प्रमुख कार्य निम्नवत है।

(1) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना। वार्षिक बजट बनाना।
प्राकृतिक संकट मे सहायता प्रदान करना।
स्वैच्छिक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना।
गाँवो के आवश्यक आकड़ो को तैयार करना -
इन कार्यों के प्रभावी ढंग से करने के लिए ग्राम पंचायत को छह प्रकार स्थायी समितियाँ बनाना आवश्यक है

(1) योजना समन्वय एवं समिति
(2) उत्पादन समिति
(3) सामाजिक न्याय समिति
(4) शिक्षा समिति
(5) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण समिति
(6) लोक निर्माण समिति

इस समिति को ग्रामीण, आवास, ग्रामपूर्ति आवागमन के माध्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य के निर्माण एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से होता है। मृत्यु त्याग पत्र अयोग्यता पदच्युति अथवा किसी अन्य कारणो से मुखिया का पद रिक्त हो जाने पर छह महीने के अंदर उक्त पद हेतु निर्वाचन कराना आवश्यक है।

मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होने के हैसियत से निम्नलिखित के लिए जवाबदेह होता →

ग्रामसभा का आयोजन एवं उसकी अध्यक्षता करना।
ग्राम पंचायत की बैठक का समयानुसार आयोजन - एवं अध्यक्षता करना।
ग्राम पंचायतो के अभिलेखो की जवाबदेही लेना।
वित्तीय एवम् प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाना।
कर्मचारियो, पदाधिकारियो एवं अन्य पर अप्रशासनिक नियन्त्रण एवं देखरेख करना।

Scanned by TapScanner

दिए गए कार्यों को करने एवं कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना।

ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित हो।

उपमुखिया ऐसे शक्तियों का प्रयोग कार्यों का निष्पादन एवम् कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिसे मुखिया ने उसे लिखित रूप से सौंपा हो। मुखिया के अनुपस्थिति में उपमुखिया उसकी सभी कार्यों का निष्पादन एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा किन्तु मुखिया के आते ही उसे उसकी शक्तियां वापस हो जाएगी।

पंचायत समिति – पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है इसका गठन उस राज्य में नहीं किया जाता जिसकी जनसंख्या बीस लाख से कम है अर्थात पंचायत समिति बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में ग्राम पंचायत एवम् जिला परिषद की बीच की कड़ी के रूप में स्थित है

पंचायत समिति की संरचना इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आये सदस्यों, जिसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य इसके क्षेत्र के अंदर पंजीकृत राज्यसभा एवम् विधान परिषद के सदस्य तथा इस प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों की मुखिया से होती है।

जिला-परिषद – जिला परिषद राज्य की जिला स्तरीय संस्था है, एक ओर पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है तथा दूसरी ओर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए सम्पर्क संस्था की भूमिका निभाती है।

अतः किसी भी जिले की पंचायत राज व्यवस्था वहाँ की जिला परिषद का सक्रिय एवम् सुदृढ़ रहना आवश्यक है। इसके अलावा उस जिले की सारी योजनाएं का निरूपण भी जिला परिषद भी जिला परिषद की देखरेख में होता है। क्योंकि जिला परिषद का अध्यक्ष ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है — जिला परिषद की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना उस जिले की पंचायत राज व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्राम कचहरी – ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में ही किया गया जिसे 1948 में लागू किया गया, पूरे देश के ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी को जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था को खड़ा करने –

Scanned by TapScanner

का काम केवल बिहार मे ही किया गया। बिहार सरकार ने जनता को बिना खर्च किया न्याय दिलाने का यह प्रभावशाली कदम उठाया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मे एक ग्राम-कचहरी की स्थापना की गई है इस व्यवस्था मे सीधे निर्वाचित क्षेत्रों के पंच सीधे चुने जाते हैं। इनकी अवधि पाँच वर्षों की होती है।

प्रत्येक ग्राम कचहरी मे एक सचिव तथा एक न्याय मित्र की नियुक्ति नियमानुसार होगी।

सरपंच ग्राम कचहरी और उसकी पीठ की अध्यक्षता करते हैं परन्तु उनकी प्रमुख भूमिका पक्षकारों के बीच मेल-मिलाप सुलह समझौते की चेष्टा सफल न होने पर मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन होता है जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है -

मामलों के पक्षकारों द्वारा मनोनीत ग्राम कचहरी के पंचों मे से दो पंच सरपंच द्वारा विहित तरीके से चुने गए दो अन्य पंच, इसतरह से गठित न्यायपीठ की अध्यक्षता स्वयं सरपंच करेंगे। ग्राम कचहरी नीचे दिए गए मामलों की सुनवाई नहीं करेगी।

(1) किसी अन्य न्यायालय मे लम्बित मामला।

(2) चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य अगर दस हजार रुपये से अधिक हो।

(3) मामले मे फरीक पक्ष को अगर तीन साल से अधिक का कारावास किसी अन्य अभियोग मे मिल चुका हो।

5 - अगर को पक्ष सद्व्यवहार के लिए करारबद्ध किया गया हो स्वयं ऐसे मामले जिसमे ग्राम पंचायत के मुखिया या उप मुखिया या सदस्य या सरपंच या पंच के विरुद्ध शिकायत की गई हो

6 लगान की वसूली

7 गलत ढंग से सम्पत्ति को हथियाने का मामला।

8 - जानवरों द्वारा फसलों को चरने से नुकसान

9 - बटवारे का मामला जिसमे कानूनी दंड देने न हो

ग्राम कचहरी या उसकी न्याय पीठ को कार्यवाहियों या अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार जिला न्यायपीठ या उसके द्वारा निर्देशित अन्य न्यायिक

Scanned by TapScanner

ग्राम कचहरी की भूमिका पंचायत की सबसे पुरानी पहचान से जुड़ी है। पंचायत को राज आज भी पंचायतें अर्थात विवाद के फैसले से है। यह निशुल्क तत्काल एवम् दोनो पक्षो के हितो का ध्यान रखते हुए उनके सामने होने वाला न्याय है। पक्षो के बीच मेल मिलाप कराने का प्रयास।

पंचायत मे मानव सम्बन्धी कार्य

- स्कूल
- अस्पताल
- तालाब
- एक एकड़ से भूमि वाले परिवार - विवरण
- एक एकड़ से कम भूमि वाले परिवार विवरण
- भूमि हीन परिवारो की सख्या
- खेती मे काम करने वाले मजदूरो की सख्या
- सिचाई की पद्धति
- बुजुर्ग लोगो की सख्या (65 वर्ष से अधिक आयु वाले
- पढे लिखे पुरुषो की सख्या
- बेरोजगार नौजवान युवक युवतियों की संख्या
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो की सख्या
- असहाय बुढे - बुढ़ियो की सूची
- कारीगरो की सख्या
- पंचायत से बाहर जाकर कमाने वालो की सख्या
- फ्रेशफल

पंचायत मे भौतिक संसाधन सम्बन्धी आकड़े जमा करने हेतु फार्म -

- खेती के योग्य परती भूमि
  - अवासीय
- मिट्टी की संरचना
- खेती की सघनता
- फसलो की किस्मे
- सिचाई की सुविधा -
- खनिज संसाधन - (वस्तु)
- फसलवार उत्पादन

ग्राम उद्योग :-

(क) कुटीर उद्योग -

हस्त कला आधारित उद्योग

बुनियादी सुविधाएं :-

(क) सड़क (ख) बिजली (ग) सामुदायिक भवन

- सस्थागत सुविधाए -

(क) स्वास्थ्य (ख) शिक्षा (ग) सफाई (घ) पीने का पानी (च) चैत्र

- निकटतम कस्बा या शहर
- आना जाना की सुविधा - (क) रेल (ख) बस (ग) नाव

From - (Dr ARUN KUMAR)
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College
SASARAM.

Scanned by TapScanner